


फर्द अहकाम

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

बैंक ऑफ महाराष्ट्र बनाम मैसर्स एस एस इम्पेक्स

प्रकरण संख्या 290/2016 (धारा 14 सिक्वोरिटाईजेशन एक्ट)

| दिनांक आज्ञा या कार्यवाही | आज्ञा का विस्तृत रूप | विशेष विवरण |
|------------------------------|---|-------------|
| 04.08.2022 | <p>पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक की ओर से काफी समय से कोई उपस्थित नहीं हो रहा है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी बैंक की ओर से धारा 14 के प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रस्तुत शपथ पत्र अपूर्ण है।</p> <p>अतः धारा 14 सिक्वोरिटाईजेशन एक्ट-2002 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खारिज किया जाता है। प्रार्थी बैंक बाद पूर्ति नये सिरे से प्रार्थना पत्र पेश करने के लिए स्वतंत्र है। पत्रावली नम्बर से कम हो।</p> <p style="text-align: center;"> जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर</p> | |